बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग ।

संकल्प

पटना, दिनांक अगस्त, 2014

संख्या–1/एम02–60–20/2013 गृ0आ0......................./श्री धीरज कुमार, भा0पु0से0 (2004), तत्कालीन अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, खड़गपुर (मुंगेर) सम्प्रति पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के द्वारा खड़गपुर (मुंगेर) थाना काण्ड सं0–160/2008 दिनांक 13.09.2008 धारा 302/34 भा0द0वि0 (वि0प्र0 संख्या–552/08) का पर्यवेक्षण इनके द्वारा 13.09.2008 एवं 18.10.2008 को किया गया तथा पर्यवेक्षण टिप्पणी दिनांक 23.10.2008 को समर्पित किया गया है । पर्यवेक्षणोपरांत इनके द्वारा इस काण्ड में धारा 302/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत तथ्य की भूल करने का आरोप है ।

2. और चूँकि गृह (आरक्षी) विभाग के ज्ञापन सं0–9194, दिनांक 11.12.2013 द्वारा श्री धीरज कुमार को कहा गया था कि वे अपने बचाव में लिखित बयान प्रस्तुत करे और यह भी बतायें कि इस कार्यवाही में अपना बचाव पक्ष स्वयं प्रस्तुत करना चाहते हैं अथवा नहीं ।

3. और चूँकि श्री कुमार ने अपने पत्र संख्या–408/अनु0, दिनांक 21.01.2014 के द्वारा बचाव हेतु लिखित बयान प्रस्तुत किया है जिसे पुलिस महानिदेशक ने अपने मंतव्य के साथ पुलिस मुख्यालय के पत्रांक–581/एक्स0पी0, दिनांक 20.02.2014 द्वारा विभाग को भेजा है ।

4. और चूँकि श्री कुमार द्वारा लिखित बचाव बयान समर्पित किये जाने एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा प्राप्त मंतव्य पर समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–8 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है।

5. अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–8 (2) के अधीन संचालन पदाधिकारी के रूप में विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया जाता है तथा उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापित एक पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में मनोनित करेंगे । श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे इस संकल्प की प्राप्ति की तारीख से 10 कार्य दिनों के भीतर स्वयं किसी भी समय जैसा कि जॉच पदाधिकारी अनुमति दें, विभागीय जाँच आयुक्त के समक्ष स्वयं उपस्थित हों ।

6. संकल्प में माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/ श्री धीरज कुमार, भा0पु0से0 (2004), पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(राजीव रंजन सिन्हा)
सरकार के विशेष सचिव

अनुलग्नक :–

1. धीरज कुमार, भा0पु0से0 (2004) के विरूद्ध निर्गत ज्ञापन, आर्टिकल ऑफ चार्जेज, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसबिहेवियर एण्ड मिसकण्डक्ट एवं साक्ष्य सूची ।
2. पुलिस मुख्यालय के पत्रांक–581/एक्स0पी0, दिनांक 20.02.2014 एवं धीरज कुमार, भा0पु0से0 (2004) के पत्र संख्या–408/अनु0, दिनांक 21.01.2014 की छायाप्रति ।

ज्ञाप संख्या–1/एम02–60–20/2013 गृ0आ0.../ पटना, दिनांक अगस्त, 2014

प्रतिलिपि :– संकल्प में विनिर्दिष्ट लेख्यों की प्रतियों के साथ विभागीय जाँच आयुक्त, पटना को विभागीय कार्यवाही की सुनवाई हेतु प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कार्यवाही तुरंत प्रारंभ करने का कष्ट करे एवं अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में तीन माह के अंदर समर्पित करने का कष्ट करें । आदेश पत्र के साथ कार्यवाही अभिलेख संलग्न कर दिया जाय ।

(2) पुलिस महानिदेशक से अनुरोध है कि अपराध अनुसंधान विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापित एक पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी मनोनित कर संकल्प की प्रति अनुलंग्नक सहित उन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय, साथ हीं इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को भी दी जाय।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या–1/एम02–60–20/2013 गृ0आ0.../ पटना, दिनांक अगस्त, 2014

प्रतिलिपि :– पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना/श्री धीरज कुमार, भा0पु0से0 (2004), पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति अनुलग्नक सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या–1/एम02–60–20/2013 गृ0आ0 6992 / पटना, दिनांक 25 अगस्त, 2014

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/8/14
सरकार के विशेष सचिव